न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्र0पत्र संख्या –
निर्णय दिनांक–

156/2018
27.12.2018

उनवान

फोरी पत्नी कमलेश जाति गुर्जर निवासी रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

– प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1.श्री बी0एल0 कासलीवाल वकील प्रार्थीया

2.पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थीया के तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 1001 रकबा 0.11, ख0न0 1002 रकबा 0.25, ख0न0 1003 रकबा 0.36, ख0न0 1008 रकबा 0.16, ख0न0 1009 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.94 वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। प्रार्थीया की उक्त भूमि की सीमायें समाप्त हो जाने के कारण प्रार्थीया ने अपनी उक्त भूमि का दिनांक 10.06.2018 को तहसीलदार उनियारा के आदेश क्रमांक 2624/भू0अ0/दिनांक 4.6.18 की पालना मे पटवारी हल्का झुण्डवा द्वारा सीमाज्ञान कर चारों दिशाओं मे निशानात कायम किये थे, परन्तु पडोसी काश्तकार द्वारा प्रार्थीया के महिला होने के आधार पर जबरन प्रार्थीया की खातेदारी की उक्त आराजी पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण उक्त आराजी पर पत्थरगढी नही हो पाई है। प्रार्थीया निर्बल व असहाय महिला है तथा पडोसी काश्तकारों से लडाई झगडा करने मे भी सक्षम नही है। प्रार्थीया अपनी उक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना चाहती है ताकि मौके पर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न नही हो।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

यह कि प्रार्थीया की अधियाचना है कि प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 वादग्रस्त आराजी ख0न0 1001 रकबा 0.11, ख0न0 1002 रकबा 0.25, ख0न0 1003 रकबा 0.36, ख0न0 1008 रकबा 0.16, ख0न0 1009 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.94 वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा जिला टोंक की पत्थरगढी करवाये जाने एवं प्रार्थीया को नियमानुसार राशि जमा करवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि आराजी ख0न0 1001 रकबा 0.11, ख0न0 1002 रकबा 0.25, ख0न0 1003 रकबा 0.36, ख0न0 1008 रकबा 0.16, ख0न0 1009 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.94 वाके ग्राम रोहित मे स्थित है। न्यायालय आदेश की पालना मे उक्त खसरा नम्ब्रान पर पत्थरगढी करने पर प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्षों की बहस सूनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 वाके ग्राम रोहित पटवार क्षैत्र झुण्डवा मे आराजी ख0न0 1001 रकबा 0.11, ख0न0 1002 रकबा 0.25, ख0न0 1003 रकबा 0.36, ख0न0 1008 रकबा 0.16, ख0न0 1009 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.94 फोरी पत्नी कमलेश जाति गुर्जर सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीया के द्वारा पूर्व मे भी वादग्रस्त आराजीयात के सीमाज्ञान किये जाने हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये है, परन्तु विधिवत सीमाज्ञान नही कराया गया है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये जाने की वैधानिक अधिकारी है।

अतः तहसीलदार उनियारा को आदेश दिये जाते है कि आराजी ख0न0 1001 रकबा 0.11, ख0न0 1002 रकबा 0.25, ख0न0 1003 रकबा 0.36, ख0न0 1008 रकबा 0.16, ख0न0 1009 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.94 है वाके ग्राम रोहित तहसील उनियारा का नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करावें। फरीकेन खर्चा अपना अपनां वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाशचन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner